

कार्यालय – प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण कक्ष)

सतपुड़ा भवन, प्रथम तल, मध्यप्रदेश, भोपाल

Tel. (office) 2674212 (Fax) 2551450, E-mail: apccfprot@mp.gov.in

क्रमांक / एफ-08 / 10-10-2012 / 2269

भोपाल, दिनांक 09/05/

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

मध्यप्रदेश।

विषय:-अवैध कटाई एवं अवैध उत्खनन तथा जप्ती की कार्यवाही के दौरान वन कर्मचारियों पर हो रहे हमलों के संबंध में।

— — —

आपको अवैध कटाई, अवैध उत्खनन पर नियंत्रण रखने हेतु समय-समय पर विस्तृत निर्देश दिये गये हैं। इसी प्रकार नियमित बीट जांच, आरा मशीन चेकिंग एवं वन विभाग के कर्मचारियों तथा उड़न दरता दलों को प्राप्त शिकायतों एवं जानकारी के आधार पर छापामार कार्यवाही के संबंध में भी विस्तृत निर्देश दिये गये हैं। यदि इन निर्देशों का पूरी कर्तव्यपरायणता से पालन किया जाये तो निश्चित रूप से वन अपराधों पर अंकुश लगेगा।

पिछले कुछ समय से छापामार कार्यवाही एवं वन गरती के दौरान वन कर्मचारियों पर हमले एवं मारपीट की घटनायें हई हैं। इन घटनाओं से जहां वन कर्मचारियों का मनोबल गिरता है, वहीं वन विभाग की छबि भी धूमिल होती है। छापामार कार्यवाही के दौरान विशेष तौर पर संयम रखने एवं सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। इस तरह की कार्यवाही में अगर कहीं वन कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटनायें होती हैं तो यह कहीं न कहीं आपसी तालमेल, सही प्रकार की योजना तैयार न करना एवं संबंधित क्षेत्र के बारे में पर्याप्त जानकारी न होना, इत्यादि कमी दर्शाता है। छापामार की कार्यवाही के पूर्व संबंधित क्षेत्र के बारे में आपको एवं संबंधित अधिकारी / कर्मचारियों को पूरी जानकारी होना चाहिये, सही प्रकार योजना तैयार करना चाहिये एवं रिथति के अनुसार पूरे दल-बल के साथ कार्यवाही की जाना चाहिये ताकि कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर किसी प्रकार का हमला या मारपीट की घटना से बचा जा सके।

वन कर्मचारियों को शरत्रों का प्रदाय एवं उन्हें इस्तमाल करने के भी अधिकार दिये गये हैं। कहीं —कहीं एस ए एफ की कम्पनियाँ भी दी गई हैं। छापामार कारबला में उनको भी आवश्यकतानुसार साथ ले जाना चाहिये तथा स्थानीय पुलिस को कारबला करते हुये पुलिस बल भी साथ ले जाना चाहिये। वृत्त रत्तरीय उड़न दस्तों को मजबूत बनाया जावे एवं उनका भी सही प्रकार एवं प्रभावी तरीके से इस्तेमाल जाये।

वनों में अवैध कटाई रोकने एवं जप्ती इत्यादि की कार्यवाही में पूरी तैयारी योजना के साथ ही कार्यवाही की जाना चाहिये ताकि किसी प्रकार की मारपीट घटना न हो। यह कार्यवाही इतनी सफल एवं सही होनी चाहिये जिससे अपराधियों में भय व्याप्त हो एवं वन कर्मचारियों का भगोबल वढ़े एवं बना रहे। संबंध में अपने अधिनरथों को पूरा सहयोग एवं गार्गदर्शन दें।

५२६
(टी० आर० शर्मा) १५/११

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संस्कण)

मध्यप्रादेश भोपाल